अनुलग्नक-क

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचरण और प्रक्रिया संहिता

[सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 के विनियम 8 के अनुसार संशोधित]

---

1. कंपनी की ओर से सूचना के प्रसार और अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन (यूपीएसआई) के प्रकटीकरण से निपटने के लिए अनुपालन अधिकारी/संसाधन संग्रहण विंग के प्रमुख को कंपनी के मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी (सीआईआरओ) के रूप में नामित किया जाएगा।

2. कंपनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का शीघ्र सार्वजनिक प्रकटीकरण करेगी, जो मूल्य निर्धारण को प्रभावित करेगी, जैसे ही ऐसी सूचना सामान्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए विश्वसनीय और सुदृढ़ सूचना सामने आएगी।

   कंपनी ऐसी जानकारी के चयनात्मक प्रकटीकरण से बचने के लिए यूपीएसआई का एक समान और सार्वभौमिक तरीके से प्रकटीकरण करेगी। यूपीएसआई जो चयनात्मक रूप से, अनजाने में या अन्यथा प्रकट हो जाती है, उसे तुरंत प्रसारित किया जाएगा ताकि ऐसी जानकारी सामान्य तौर पर उपलब्ध हो सके।

3. इसके अतिरिक्त, कोई भी नामित कार्मिक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या किसी अन्य सोशल मीडिया समूह पर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन (यूपीएसआई) साझा/अग्रेषित नहीं करेगा।

4. कंपनी नियामक प्राधिकरणों द्वारा बाजार अफवाहों के सत्यापन के लिए समाचार रिपोर्टों और अनुरोधों पर प्रश्नों का उचित और निष्पक्ष प्रतिक्रिया भी प्रदान करेगी।

5. विश्लेषकों, संस्थागत निवेशकों आदि के विशेष संदर्भ में अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का प्रकटीकरण/प्रसार।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा/या कार्यात्मक निदेशकों के अलावा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा/या कार्यात्मक निदेशकों द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति कंपनी की प्रतिभूतियों से संबंधित जानकारी विश्लेषकों/शोध व्यक्तियों तथा संस्थागत निवेशकों आदि को नहीं बता सकता। मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी ऐसी सभी बैठकों के लिए समन्वयक होगा जो अनुपालन अधिकारी को ऐसी बैठक के बारे में सूचित करते रहेगा। इसके अलावा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा/या कार्यात्मक निदेशक बैठक के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों को आमंत्रित कर सकते हैं, जिन्हें वे आवश्यक और उचित समझें।

उपरोक्त अधिकारी विश्लेषकों/शोधकर्ताओं और संस्थागत निवेशकों आदि के साथ काम करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और/या कार्यात्मक निदेशक विश्लेषक/शोधकर्ता/संस्थाओं जैसे बड़े निवेशकों आदि को केवल सार्वजनिक सूचना ही उपलब्ध करा सकते हैं।
- यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक निदेशक(ओं) द्वारा गैर-सार्वजनिक सूचना प्रदान करने का प्रस्ताव है, तो ऐसी सूचना को अनुपालन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक किए जाने के बाद ही साझा/प्रदान किया जाना चाहिए, संबंधित कार्यात्मक निदेशक की सिफारिश पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निर्देशित स्टॉक एक्सचेंज(ओं) और/या कंपनी की वेबसाइट पर प्रसारित करके ।

6. कंपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विश्लेषकों और अन्य निवेशक संबंध सम्मेलनों के साथ बैठकों की कार्यवाही की प्रतिलिपि या रिकॉर्ड बनाने के लिए उचित कदम उठाएगी ताकि किए गए प्रकटीकरण की आधिकारिक पुष्टि और दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित हो सके।

7. **साइलेंट पीरियड के दौरान बैठकें/प्रस्तुतियाँ:**

साइलेंट पीरियड के दौरान, निवेशकों और वित्तीय विश्लेषकों आदि के साथ कोई बैठक और प्रस्तुतियाँ नहीं होंगी, जब तक कि ऐसा संचार पहले से प्रकट की गई जानकारीयों के तथ्यात्मक स्पष्टीकरण से संबंधित न हो।

ऐसा साइलेंट पीरियड उस दिन से शुरू होगा, जिस दिन वित्तीय परिणामों/मूल्य संवेदनशील सूचना पर विचार करने के लिए बोर्ड बैठक की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों/निदेशकों को दी जाएगी और यूपीएसआई के सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाने के साथ ही समाप्त हो जाएगी, यानी स्टॉक एक्सचेंज(ओं) और कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित या बोर्ड मीटिंग के समापन के 48 घंटे बाद, जो भी पहले हो, या ऐसी अन्य अवधि जिसे अनुपालन अधिकारी द्वारा समय-समय पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के परामर्श/अनुमोदन में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

8. **प्रकटीकरण/प्रसार का माध्यम:**

8.1 अनुपालन अधिकारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा संबंधित कार्यात्मक निदेशक के अनुमोदन से, सभी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचनाओं को निरंतर और समयबद्ध तरीके से उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रसारित करेगा जहां इसकी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं और उसके बाद यदि आवश्यक हो तो प्रेस को भी प्रसारित करेगा।

8.2 एक अच्छी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के रूप में, स्टॉक एक्सचेंजों को बताई गई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in पर शीघ्र अपडेट करके भी पूरक बनाया जा सकता है।

9. **डिटर्मिनेशन ऑफ लैजिटिमेट पर्पोसिस हेतु नीति अनुलग्नक-बी में दी गई है।**

*****

अनुलग्नक- बी

डिटर्मिनेशन ऑफ लैजिटिमेट पर्पोसिस हेतु नीति

---

1. कंपनी के भीतर सभी सूचनाओं को आवश्यकता के आधार पर संभाला जाएगा और कोई भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति को वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के निष्पादन या विधिक दायित्वों के निर्वहन को छोड़कर नहीं दी जाएगी।

2. यूपीएसआई को वैध उद्देश्य के लिए संप्रेषित माना जाएगा जब कोई कार्मिक या कोई अन्य अंदरूनी व्यक्ति (जिसके पास ऐसी जानकारी हो):

   - व्यवसाय के सामान्य क्रम में, भागीदारों, सहयोगियों, उधारदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, मर्चेंट बैंकरों, विधि सलाहकारों, लेखा परीक्षकों, दिवालियापन प्रोफेश्नल्स या अन्य सलाहकारों या परामर्शदाताओं को ऐसी जानकारी संप्रेषित करता है, बशर्ते कि इस तरह की साझाकरण सेबी पीआईटी विनियम, 2015 और संहिता के निषेध से बचने या उसे दरकिनार करने के लिए नहीं किया गया हो;

   - ऐसी जानकारी किसी न्यायालय या किसी सरकारी या नियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत या प्रदान करता है;

   - किसी अन्य वास्तविक या उचित उद्देश्य के लिए ऐसी जानकारी का संचार या साझाकरण नहीं करता है, जैसा कि अनुपालन अधिकारी और मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित किया जा सकता है।

3. उपरोक्तानुसार, 'वैध उद्देश्य' के लिए यू.पी.एस.आई. प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को सेबी पी.आई.टी. विनियम, 2015 के प्रयोजन के लिए 'अंदरूनी व्यक्ति' माना जाएगा और यू.पी.एस.आई. की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसे व्यक्ति या संस्था को उचित नोटिस दिया जाएगा।

4. सभी आंतरिक व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के साथ गैर-प्रकटीकरण या गोपनीयता समझौते सुनिश्चित करने होंगे जिनके साथ यूपीएसआई साझा किया गया है और ऐसे यूपीएसआई के संबंध में ऐसे व्यक्ति के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और इसमें शामिल देनदारियों के बारे में भी सुनिश्चित करना होगा, यदि ऐसा व्यक्ति संहिता का उल्लंघन करते हुए ऐसे यूपीएसआई का दुरुपयोग या उपयोग करता है।

*****